

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी.. ५.५.१५.२०१९.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जं की तामील
<p>१९-२-१७</p> <p>दावा में अर्जित प्राप्ति का प्रमाण सबूत नहीं है। अतः दावा वापस लेना चाहता हूँ। पत्रावली वापस लेना चाहता हूँ।</p>	<p>पत्रावली पेश हुई जाती/ उत्प्रेषण उपरो अधिवक्ता में न्यायालय में उपस्थित होकर दावा वापसी के लिए एक प्रार्थना-पत्र पेश कीया और बताया की दावे में कोई कार्यवाही शेष नहीं, दावा वापस लेना चाहता हूँ। प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर। पत्रावली वापस होकर, कुलब शुमार होकर नम्बर के एक कग हो। आदेशा सरे इतना १ आज दिनांक २८-२-२०१९ को सुनाया जाया।</p> <p>वी.ए.ए. २८/२/१९</p> <p>उपखण्ड न्यायाधीश पीपल (जज.)</p>	